न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 1/2017

उनवान-

1. रमती पत्नी नारायण,
2. हीरा,
3. सीमा,
4. विश्राम पि0 नारायण जाति रावत नि0 अंसरी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामा पुत्र हरजी दत्ताक पुत्र लूम्बा
2. शारदा,
3. श्रवणी पि0 लक्ष्मण पुत्र हरजी,
4. आपू पत्नी मोहन,
5. महेन्द,
6. छोटू पि0 मोहन,
7. गोपाल पुत्र हरजी दत्तक पुत्र लूम्बा समस्त जातिगण रावत नि0 अंसरी, नसीराबाद हाल नि0 ग्राम नाला पुष्कर, अजमेर।
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–

1 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– २४.१.१७

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अंसरी प0म0 भीमपुरा के खाता संख्या 223/245 किता 53 रकबा 8.99 व खसरा नम्बर 809 रकबा 0.26 की आराजी वादीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी के कुल तीन हिस्से मे से 1 हिस्से के मूल खातेदार धन्ना व हरजी पि0 काना राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। धन्ना की मुत्यु हो गयी है। जिसके वारिसान वादीगण ही है। तथा हरजी पुत्र काना ग्राम नाला पुष्कर निवासी लूम्बा पुत्र डीगा के गोद चले जाने से ग्राम पुष्कर में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 388 में 1/2 हिस्से खातेदारी दर्ज कर उसकी मुत्यु के बाद उसके वारिस प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी है। तथा उक्त आराजी मुतनाजा के खातेदार धन्ना व हरजी पुत्र काना में से हरजी के गोद चले जाने से काना की सम्पति में एकमात्र वारिस धन्ना होने से उसके वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी अंकन किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आराजी मुतनाजा पर हरजी पुत्र काना के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 ने जरियें अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा धन्ना व हरजी पि0 काना राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। धन्ना की मुत्यु हो गयी है। जिसके वारिसान वादीगण ही है। तथा हरजी पुत्र काना ग्राम नाला पुष्कर निवासी लूम्बा पुत्र डीगा के गोद चले जाने से ग्राम पुष्कर में स्थित भूमि उसके वारिस प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी है। तथा उक्त आराजी मुतनाजा के खातेदार धन्ना व हरजी पुत्र काना में से हरजी के गोद चले जाने से काना की सम्पति में एकमात्र वारिस धन्ना होने से उसके वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी अंकन किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, शजरा, मुत्यु प्रमाण पत्र पेश किये व वादी रमती का शपथ पत्र साक्ष्य हेतु पेश किया।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम अंसरी प0म0 भीमपुरा के खाता संख्या 223/245 किता 53 रकबा 8.99 व खसरा नम्बर 809 रकबा 0.26 की आराजी अन्य खातेदारों के साथ धन्ना, हरजी पि0 काना के नाम खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 315 दिनांक 5.12.14 द्वारा उक्त आराजी में धन्ना पि0 काना के स्थान पर उसके वारिस वादीगण का नाम दर्ज किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम पुष्कर के खाता संख्या 388/388 किता 23 रकबा 114–8–0 की आराजी में हरजी पुत्र लूम्बा का 1/2 हिस्सा दर्ज था जो नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 18.11.89 द्वारा प्रतिवादीगण/वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी। ग्राम अंसरी प0म0 भीमपुरा के खाता संख्या 223/245 व खसरा नम्बर 809 की आराजी पर भी हरजी पुत्र काना का नाम दर्ज है। जबकि हरजी लूम्बा के गोद चला गया था जिसकी ताईद वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पुष्कर के खाता संख्या 388/388 की जमाबंदी से होती है। हरजी पुत्र काना लूम्बा के गोद चले जाने से वादग्रस्त आराजी पर उसके हक व अधिकार समाप्त हो गये है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 7 ने वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपनी सहमती प्रस्तुत की है। वाद के खण्डन हेतु कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जबकि वादी ने साक्ष्य व दस्तावेज से अपने कथनो की पुष्टि की है।

अतः ग्राम अंसरी प0म0 भीमपुरा के खाता संख्या 223/245 किता 53 रकबा 8.99 व खसरा नम्बर 809 रकबा 0.26 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर हरजी पुत्र काना के हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रमती वगै0 बनाम रामा वगै0

दावा बाबत :– 88,188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 01/2017
पेश करने की दिनांक – 4.1.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम अंसरी प0मे0 भीमपुरा के खाता संख्या 223/245 किता 53 रकबा 8.99 व खसरा नम्बर 809 रकबा 0.26 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर हरजी पुत्र काना के हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह० 1 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner